न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 09/2025 (GCMS 2025/255)

रघुवीर सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह उम्र 62 साल निवासी जी–7 मैट्रो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर हाल 4–ई–22, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

– अपीलांटस

बनाम

1. **परमजीत सिंह पुत्र श्री** रघुवीर सिंह निवासी मकान नं. जी–7, मैट्रो सिटी कॉलोनी, सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर
2. **पूनम गेदर उर्फ जसमीत कौर** पत्नी श्री परमजीत सिंह निवासी मकान नं. जी–7, मैट्रो सिटी कॉलोनी, सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर
3. **गुरमीत कौर पत्नी श्री रघुवीर सिंह** निवासी मकान नं. जी–7, मैट्रो सिटी कॉलोनी, सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर

– रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रघुवीर सिंह एवं रेस्पोडेंट पमरजीत सिंह एवं गुरमीत कौर उपस्थित हुए। अप्रार्थी पूनम गेदर उर्फ जसमीत कौर उपस्थित नहीं हुई। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.04.2025 विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके स्वामित्व के मकान नं. जी–7, मैट्रो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने का अनुतोष चाहा गया था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में माननीय अधीनस्थ न्यायालय से अपनी परिस्थितियों का वर्णत करते हुए, उसके पुत्र और पुत्रवधु को मकान से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांतो में उल्लेखित किया है कि कोई पुत्र या पुत्रवधु जो बालिग है तथा अपने वरिष्ठ माता–पिता का ढंग से पालन पोषण नहीं करते है या उनकी देखभाल नहीं करते है तो वरिष्ठ नागरिकों को उन्हें अपनी सम्पति से बेदखल करने का अधिकार है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वह बीएसएफ से सेवानिवृत कर्मचारी है तथा अपने स्वयं के माता–पिता जिनकी उम्र लगभग 80 व 90 वर्ष है, को साथ लेकर किराये के मकान में निवास कर रहा है क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी व उसके माता पिता जो अति वरिष्ठ नागरिक है, जिन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया है तथा वह अपने स्वयं का मकान होने के पश्चात भी किराये के मकान में दर दर की ठोकरें खा रहे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वह शुरूआत से रेस्पोडेंट संख्या 3 गुरमीत कौर जो उसकी पत्नी है, को अपने साथ रखने के लिए राजी था और आज भी राजी है परन्तु अप्रार्थी संख्या 3, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को छोड़ना नहीं चाहते है तथा उनका सहारा लेकर उसे व उसके माता–पिता को तंग व परेशान किया है व आज भी तंग परेशान कर रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्राथीं संख्या 1 व 2 बालिग है तथा अपना स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है क्योंकि उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की शिक्षा दीक्षा भी उसे करवाई है तथा वह स्वयं प्राईवेट स्कूल में अध्यापिका का कार्य कर रही है जहां से 25000/– प्रतिमाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की आमदनी होती हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा कभी भी उसके व उसके बुजुर्ग माता पिता की कोई सेवा नहीं की है तथा ना ही उनका कोई सम्मान किया है अपितु उनके साथ मारपीट कर उन्हें जबरन घर से निष्कासित किया है जिनके कारण अपीलार्थी द्वारा अपने वृद्ध माता पिता के साथ किराये के मकान में निवास कर रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं उसके वृद्ध माता–पिता को उसी मकान जी–7 मैट्रो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड में एक साथ निवास करने की आज्ञा दी है जो कैसे संभव हो सकता है क्योंकि प्रार्थी भी वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी के माता–पिता अति वरिष्ठ नागरिक है जो चलने फिरने में भी असमर्थ है जिनके साथ पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा मारपीट की गई थी। अब मारपीट व बदसलूकी नहीं करेगें, ऐसा संभव नहीं है तथा ना ही प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसा होना संभव है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2025 को अपास्त किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध आदेश पारित किया जावे कि वे प्रार्थी के उक्त मकान नं. जी–7, मैट्रो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर को तुरन्त प्रभाव से खाली करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को घर से नहीं निकाला गया है। जबकि प्रार्थी स्वयं घर छोड़कर गये है। अप्रार्थी संख्या [illegible] कैंसर की मरीज है, उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार [illegible] गालौच किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी [illegible] ने महिला थाना, श्रीगंगानगर में प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध मुकदमा करवा रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा घर में पानी व बिजली का कनेक्शन काटकार व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया गुरमीत कौर को अपने जीवन निर्वाह के लिए भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 3 ने परिवार न्यायालय में धारा 144 बीएनएस में मुकदमा पेश कर रखा है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को अन्तरिम भरण पोषण का पत्र स्वीकार करते हुए 8000/– प्रतिमाह देने का आदेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा दबाव बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पास उक्त मकान के अलावा अन्य भी मकान है व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व अन्य को मकान में रहने से कभी भी नहीं रोका। प्रार्थी यदि उक्त मकान में निवास करता है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की अपील खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी रघुवीर सिंह एक वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थी परमजीत सिंह उनका पुत्र, अप्रार्थी संख्या 02 पूनम गेदर उर्फ जसमीत कौर उनकी पुत्रवधु और गुरमीत कौर उनकी पत्नी है। अपीलार्थिया ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 30.04.2025 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

> अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण, उक्त वर्णित सम्पत्ति मकान नं. जी–7, मैट्रो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर में प्रार्थी एवं उसके वृद्ध माता पिता के निवास करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक दूसरे को किसी प्रकार परेशान करने से निषेध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 30.04.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2025 को निरस्त कर अपने स्वयं के मकान जी–7, मैटो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खाली करवाने की प्रार्थना की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय **हैः**

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु एवं पत्नी सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।** अप्रार्थी संख्या 2 –पूनम गेदर उर्फ जसमीत कौर – पुत्रवधु एवं अप्रार्थी संख्या–3 गुरमीत कौर –अपीलार्थी की पत्नी है। इसलिए **अपीलार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील से मकान जी–7, मैटो सिटी कॉलोनी सैकिण्ड, नजदीक लवकुश पब्लिक स्कूल, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खाली करवाने का अनुतोष चाहा गया है तथा **किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट परमजीत सिंह से भरण पोषण के हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है:

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा:

परन्तु जहा एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 16 **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है।** इसलिए अपीलार्थी, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। **फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। अपीलार्थी, अपने उक्त विवादित मकान हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर